RNA : Real News Analysis

DAILY CURRENT AFFAIRS

UPSC, STATE PCS, SSC, RAILWAY, BANKING, DEFENCE,
और अन्य सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण

DATE
जून
10
2025

Key Point

1. National News
2. International News
3. Govt. Mission, Apps
4. Awards & Honours
5. Sports News
6. Economic News
7. Newly Appointment
8. Defence News
9. Important Days
10. Technology News
11. Obituary News
12. Books & Authors

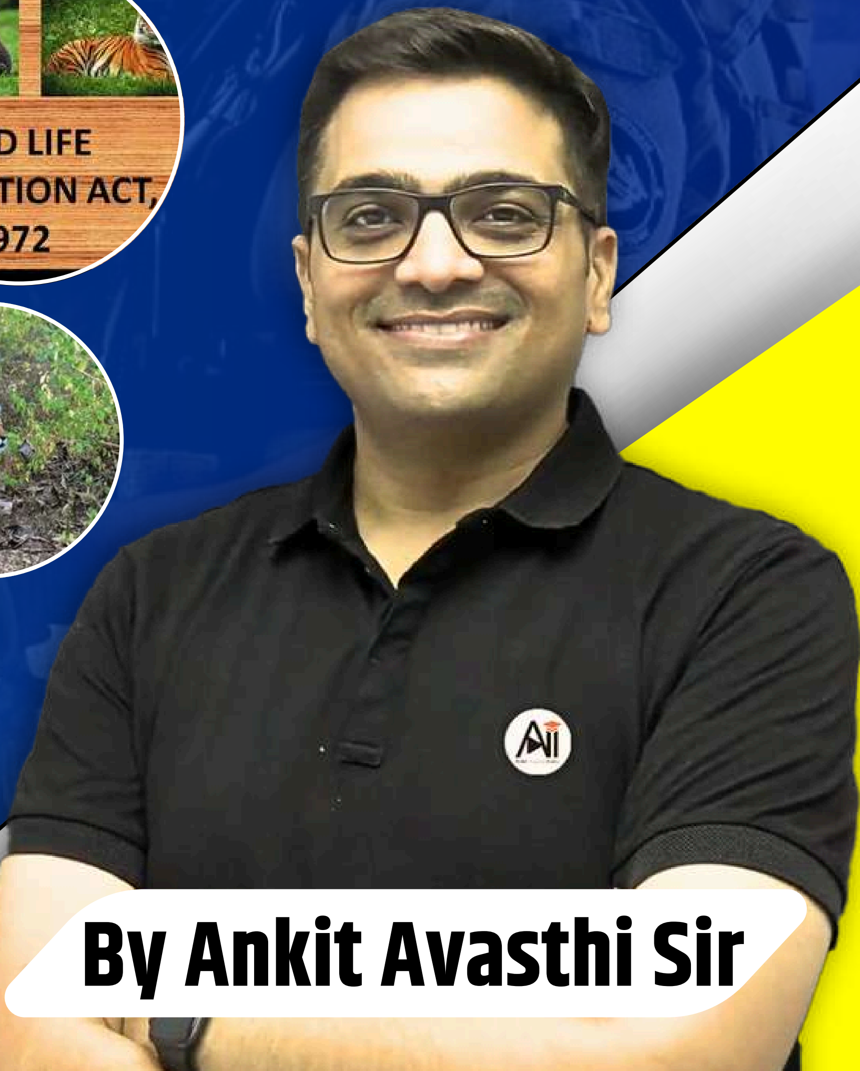

By Ankit Avasthi Sir

परामर्शी विनियमन-निर्माण / Consultative Regulation-making

संदर्भ:

भारत के प्रमुख वित्तीय नियामक – भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने पहली बार **नियमों के निर्माण और अद्यतन की प्रक्रिया के लिए स्पष्ट चरण-दर-चरण प्रणाली** तैयार की है।

RBI और SEBI के नियमन निर्माण में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के प्रयास:

- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने हाल ही में नियम जारी करने की प्रक्रिया को स्पष्ट करने वाले नियम प्रकाशित किए हैं।
- इसी तरह, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने भी नियमन बनाने में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए सुधार शुरू किए हैं।
- ये दोनों संस्थाएँ विधिक नियामक हैं और इनके पास अर्ध-विधायिका शक्तियाँ हैं।
- ये सुधार वैश्विक श्रेष्ठ प्रथाओं के अनुरूप हैं और विधि के शासन को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं।

RBI और SEBI द्वारा नियमन निर्माण में हाल ही में किए गए प्रक्रियात्मक सुधार:

- **अनिवार्य सार्वजनिक परामर्श:** RBI और SEBI दोनों अब नए नियमों को अंतिम रूप देने से पहले 21 दिनों का सार्वजनिक प्रतिक्रिया अवधि निर्धारित करते हैं।
- **प्रभाव विश्लेषण और नियामक उद्देश्य का परिचय:**
  - RBI को नए नियमों के प्रभाव का विश्लेषण करना आवश्यक है।
  - SEBI को किसी भी प्रस्तावित नियम के पीछे नियामक उद्देश्य और मंशा स्पष्ट करनी होती है।
- **मौजूदा नियमों की आवधिक समीक्षा:** दोनों नियामकों को नियमित रूप से पुराने नियमों की समीक्षा करनी होती है ताकि उनकी प्रासंगिकता और प्रभावशीलता सुनिश्चित की जा सके।

महत्व (Significance):

- **लोकतांत्रिक वैधता को मजबूत करता है:** यह सुनिश्चित करता है कि अप्रत्यक्ष रूप से चुनी गई संस्थाएं (जैसे RBI और SEBI) अपने नियम निर्माण में लोकतांत्रिक जवाबदेही निभाएं।
- **नियामकीय गुणवत्ता में सुधार:** हितधारकों (व्यवसाय, विशेषज्ञ, नागरिक समाज) से फीडबैक लेकर अधिक प्रभावी और व्यावहारिक नियम बनाए जा सकते हैं।
- **जनता का विश्वास बढ़ाता है:** पारदर्शी नियम निर्माण प्रक्रिया से नियामकीय व्यवस्था में विश्वास बढ़ता है।
- **अनुपालन और कार्यान्वयन को सरल बनाता है:** विचार-विमर्श से बने नियम अधिक व्यावहारिक होते हैं, जिससे पालन करना आसान होता है।
- **नियमों की समीक्षा और सुधार को बढ़ावा:** सार्वजनिक सुझावों और समीक्षा तंत्र से पुराने या अप्रभावी नियमों की पहचान और संशोधन संभव होता है।
- **वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप:** अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ जैसे देशों में यह परामर्श आधारित व्यवस्था पहले से लागू है।

चुनौतियाँ (Challenges)

- **नियम निर्माण की प्रक्रिया धीमी होती है:** परामर्श और प्रभाव आकलन से नियम बनाने में अधिक समय लगता है।
- **नियामकीय प्रभाव में पक्षपात का खतरा:** शक्तिशाली लॉबी या उद्योग समूह परामर्श प्रक्रिया पर हावी हो सकते हैं।
- **संसाधनों और क्षमता की सीमाएं:** RBI और SEBI जैसे नियामकों के पास प्रशासनिक और तकनीकी क्षमता सीमित है।
  - हर नियम के लिए विस्तृत प्रभाव मूल्यांकन, सार्वजनिक परामर्श और लागत-लाभ विश्लेषण करना कर्मचारियों पर अतिरिक्त बोझ डालता है और निगरानी या प्रवर्तन से संसाधन हटा सकता है।
- **गोपनीयता और संवेदनशीलता के मुद्दे:** कुछ नियामकीय विषय (जैसे मौद्रिक नीति, साइबर सुरक्षा, प्रणालीगत जोखिम) अत्यधिक गोपनीय होते हैं।
  - ऐसे मामलों में सार्वजनिक परामर्श से अटकलें, बाजार में अस्थिरता या जानकारी के लीक होने का खतरा बढ़ सकता है।

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान / PMSMA

संदर्भ:

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA) ने हाल ही में अपनी **नौवीं वर्षगांठ** पूरी की है। यह अभियान इस सिद्धांत पर आधारित है कि यदि हर गर्भवती महिला की कम से कम एक बार डॉक्टर द्वारा PMSMA के दौरान जांच की जाए, तो इससे मातृ और शिशु मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है।

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA)

- **शुभारंभ:** जून 2016 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया।
- **उद्देश्य:** सभी गर्भवती महिलाओं को *निशुल्क, भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण गर्भावस्था पूर्व देखभाल (ANC)* सेवाएं प्रदान करना।
- **सेवा दिवस:** हर महीने की **9 तारीख** को विशेष रूप से दूसरी और तीसरी तिमाही में गर्भवती महिलाओं के लिए।
- **संबद्ध रणनीति:** यह अभियान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के अंतर्गत *प्रजनन, मातृ, नवजात, शिशु, किशोर स्वास्थ्य + पोषण (RMNCAH+N)* रणनीति से जुड़ा है।
- **प्रमुख उपलब्धि:**
  - भारत का **मातृ मृत्यु अनुपात (MMR)** 2014-16 में **130 प्रति लाख जीवित जन्म** से घटकर 2021-23 में **80 प्रति लाख** हो गया – **50 अंकों की उल्लेखनीय गिरावट।**

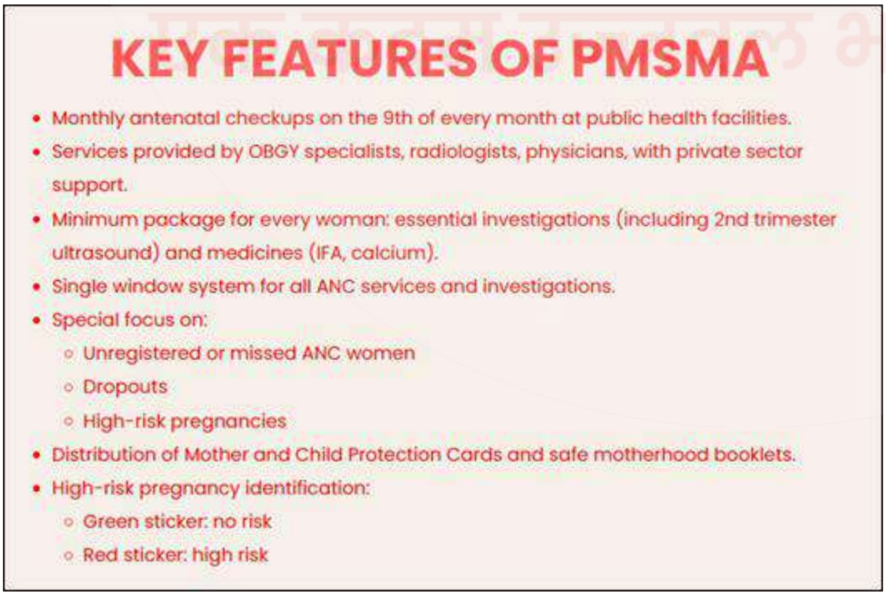

KEY FEATURES OF PMSMA

- Monthly antenatal checkups on the 9th of every month at public health facilities.
- Services provided by OBGY specialists, radiologists, physicians, with private sector support.
- Minimum package for every woman: essential investigations (including 2nd trimester ultrasound) and medicines (IFA, calcium).
- Single window system for all ANC services and investigations.
- Special focus on:
  - Unregistered or missed ANC women
  - Dropouts
  - High-risk pregnancies
- Distribution of Mother and Child Protection Cards and safe motherhood booklets.
- High-risk pregnancy identification:
  - Green sticker: no risk
  - Red sticker: high risk

Extended PMSMA (E-PMSMA): उच्च जोखिम गर्भवती महिलाओं की सुरक्षित डिलीवरी तक निगरानी

शुभारंभ: 2022 में शुरू किया गया, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA) का विस्तारित संस्करण।

उद्देश्य:

- *उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं (High-Risk Pregnant - HRP)* की पहचान कर, उन्हें सुरक्षित डिलीवरी तक *नज़रबंदी और ट्रैकिंग* सुनिश्चित करना।
- *आर्थिक प्रोत्साहन* के माध्यम से सेवाओं तक पहुँच बढ़ाना।

मुख्य विशेषताएं:

- **नाम-आधारित लाइन लिस्टिंग**: हर HRP महिला का नाम दर्ज कर सूचीबद्ध किया जाता है।
- **अतिरिक्त PMSMA सत्र**: महीने में अधिकतम **4 बार सत्र आयोजित** किए जा सकते हैं।
- **व्यक्तिगत ट्रैकिंग**: डिलीवरी के **45वें दिन तक** हर HRP महिला की निगरानी की जाती है।
- **SMS अलर्ट प्रणाली**: HRP महिला और संबंधित आशा कार्यकर्ता को *पंजीकरण* और *फॉलोअप विज़िट्स* के लिए SMS द्वारा सूचना भेजी जाती है।

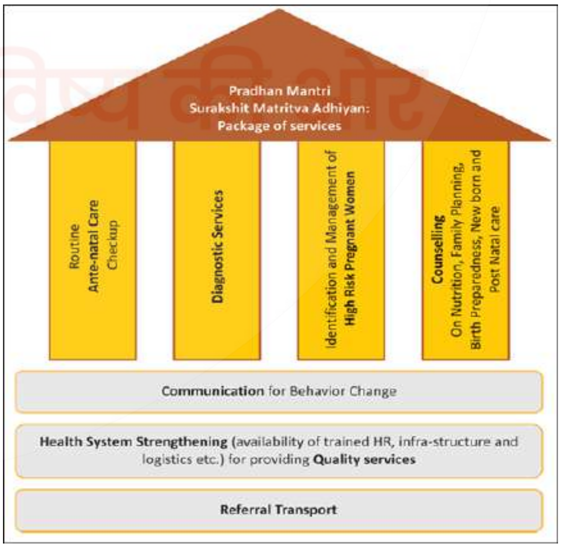

निष्कर्ष: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) मातृ स्वास्थ्य के लिए एक लक्षित और संरचित दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है।

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 / Wildlife (Protection) Act, 1972

संदर्भ:

केरल सरकार ने हाल ही में केंद्र सरकार को **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (Wildlife Protection Act, 1972)** में संशोधन का प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य राज्य को ऐसे जंगली जानवरों को मारने की अनुमति देना है जो मानव जीवन और संपत्ति के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। यह कदम राज्य में लगातार बढ़ रहे मानव-वन्यजीव संघर्ष की गंभीरता को देखते हुए उठाया गया है।

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: प्रमुख बिंदु

- **उद्देश्य:** देश के वन्य जीवों, पक्षियों और पौधों की प्रजातियों की रक्षा करना, जिससे पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
- **मुख्य प्रावधान:**
  - अधिनियम के अंतर्गत सूचीबद्ध प्रजातियों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है (जानवर, पक्षी, पौधे)।
  - पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों की एक नेटवर्क प्रणाली स्थापित की जाती है।
- **संरक्षित क्षेत्र (Protected Areas):** अधिनियम के तहत विभिन्न प्रकार के संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना की जाती है, जैसे:
  - **वन्यजीव अभयारण्य (Wildlife Sanctuaries)**
  - **राष्ट्रीय उद्यान (National Parks)**
  - **अभयारण्य, आरक्षित क्षेत्र, संरक्षण रिज़र्व आदि।**
- **महत्त्व:** यह अधिनियम भारत में जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक मील का पत्थर है और वन्यजीवों के शिकार, अवैध व्यापार, और उनके आवासों के विनाश को रोकने में सहायक है।

केरल की केंद्र सरकार से मांगें: वन्यजीव संरक्षण संबंधी सुधार

- **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधन की मांग:** "आदमीखोर" या खतरनाक जंगली जानवरों को मारने की अनुमति तेजी से और सरल प्रक्रिया के साथ दी जाए, ताकि जान-माल की हानि रोकी जा सके।
- **जंगली सूअर (Wild Boars) को "हानिकारक जीव" घोषित करने की मांग:** अधिनियम की धारा 62 के तहत इन्हें वर्मिन घोषित किया जाए, जिससे निर्धारित क्षेत्रों में सीमित समय के लिए इनके शिकार की अनुमति दी जा सके।
- **बॉनेट मकाक (Bonnet Macaques) को अनुसूची-I से हटाने की मांग:** इससे वन्यजीव अधिकारी इन बंदरों को पकड़ने, हटाने या स्थानांतरित करने जैसे प्रत्यक्ष कदम आसानी से उठा सकेंगे।

मानव-वन्यजीव संघर्ष में वृद्धि: केरल की चिंताएं

- **मुख्य कारण: मानव-वन्यजीव संघर्ष का बढ़ना** केरल में *हाथियों और जंगली सूअरों* के कारण मानव-वन्यजीव संघर्ष के मामले तेजी से बढ़े हैं, जिससे *जीवन और फसलों* को भारी नुकसान हुआ है।
- **आधिकारिक आंकड़े (2022–23):**
  - कुल *8,873* वन्यजीव हमले दर्ज हुए। इनमें से *4,193 हाथियों* और *1,524 जंगली सूअरों* द्वारा किए गए।
  - इन घटनाओं में *98 लोगों की मृत्यु* और *काफी मात्रा में फसल क्षति* हुई।
- **जंगली सूअरों का आतंक:**
  - *2017 से 2023* के बीच *20,957 फसलों को नुकसान पहुँचाने की घटनाएं* दर्ज हुईं।
  - सूअर खासकर *फलों, सब्जियों और धान की फसलों* को नष्ट करते हैं, जिससे किसान आर्थिक रूप से प्रभावित हो रहे हैं।

चिंताएं:

- पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन की आशंका
- अन्य निर्दोष प्रजातियों के फँसने या मारे जाने का खतरा
- जनसंख्या, फसल क्षति और संघर्ष क्षेत्रों से जुड़े आंकड़ों की गंभीर कमी
- वन्यजीवों के जीवन के अधिकार और नैतिकता पर सवाल
- कुछ प्रजातियों को 'हानिकारक' घोषित करने से होने वाला भेदभावपूर्ण व्यवहार
- क्रूर या अमानवीय तरीकों से शिकार करने पर पशु कल्याण नियमों का उल्लंघन

अंतरराष्ट्रीय आपदा-प्रतिरोधी अवसंरचना सम्मेलन 2025 / ICDRI 2025

संदर्भ:

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने "आपदा सहनशील अवसंरचना पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025" (International Conference on Disaster Resilient Infrastructure 2025) को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने वैश्विक सहयोग, सतत विकास और आपदा प्रबंधन में मजबूत अवसंरचना की भूमिका पर बल दिया।

अंतरराष्ट्रीय आपदा-प्रतिरोधी अवसंरचना सम्मेलन 2025 (ICDRI 2025): मुख्य तथ्य-

- **आयोजन का उद्देश्य:** आपदा और जलवायु-प्रतिरोधी अवसंरचना पर वैश्विक संवाद को मजबूत करने के लिए सरकारों, संगठनों, संस्थानों, मीडिया और बुनियादी ढांचा विशेषज्ञों को एक साथ लाना।
- **पहली बार यूरोप में आयोजन:** यह सम्मेलन पहली बार यूरोप में आयोजित हो रहा है।
- **संधि-संरेखण:**
    - संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय (UNDRR) के **Global Platform on Disaster Risk Reduction (GPDRR)** से जुड़ा है।
    - **संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन (UNOC3)** के साथ भी संरेखित।
- **विषय (थीम):** *'Shaping a Resilient Future for Coastal Regions'* – तटीय क्षेत्रों और द्वीपों की आपदाओं और जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता पर केंद्रित।
- **प्रासंगिक घटनाएँ** (हालिया आपदाएँ जो तटीय क्षेत्रों की संवेदनशीलता को दर्शाती हैं):
    - भारत और बांग्लादेश में **चक्रवात 'रिमल'**,
    - कैरिबियाई क्षेत्र में **हरीकेन बेरिल**,
    - दक्षिण-पूर्व एशिया में **टाइफून यागी**,
    - अमेरिका में **हरीकेन हेलेन**,
    - फिलीपींस में **टाइफून उसागी**,
    - अफ्रीका के कुछ हिस्सों में **साइक्लोन चिडो**।
- **प्रभाव:** इन घटनाओं ने जान-माल को भारी नुकसान पहुँचाया, जिससे तटीय क्षेत्रों की संरचनात्मक और सामाजिक भेद्यता उजागर हुई।

आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना सम्मेलन 2025 में प्रधानमंत्री मोदी के प्रमुख बिंदु

- **भारत का अनुभव:**
    - पीएम मोदी ने 1999 के सुपर-साइक्लोन और 2004 की सुनामी जैसी पुरानी आपदाओं का उल्लेख किया।
    - बताया कि भारत ने **चक्रवात आश्रयों** और **सुनामी चेतावनी प्रणाली** के निर्माण में उल्लेखनीय प्रगति की है।
- **CDRI की भूमिका:**
    - प्रधानमंत्री ने **आपदा-प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI)** के 25 छोटे द्वीपीय विकासशील देशों (SIDS) के साथ किए गए कार्यों की सराहना की।
    - **अफ्रीकी संघ** के CDRI में शामिल होने का स्वागत किया।

प्रधानमंत्री द्वारा बताए गए पाँच प्रमुख उद्देश्य:

- **आपदा लचीलापन को शिक्षा प्रणाली में एकीकृत करना**
- **श्रेष्ठ वैश्विक प्रयासों की डिजिटल जानकारी का भंडार बनाना**
- **विकासशील देशों के लिए नवाचारी वित्त पोषण को प्रोत्साहित करना**
- **SIDS देशों को विशेष सहायता प्रदान करना**
- **अर्ली वार्निंग सिस्टम को मजबूत बनाना**

महत्वपूर्ण घटनाक्रम:

- **अफ्रीकी संघ** अब भारत-प्रस्तावित **Coalition for Disaster Resilient Infrastructure (CDRI)** का सदस्य बन गया है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद / UNSC

संदर्भ:

जून 2025 में **पाकिस्तान** ने **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC)** के अंतर्गत कई प्रभावशाली समितियों में महत्वपूर्ण पदभार संभाला है। इन समितियों में उसकी बढ़ती भूमिका से भारत की चिंताएं बढ़ गई हैं, विशेषकर सुरक्षा और आतंकवाद से जुड़े मुद्दों पर वैश्विक नीतियों में संभावित प्रभाव को लेकर।

संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद विरोधी पैनल में पाकिस्तान की नियुक्ति क्यों चिंताजनक है?

FATF की पृष्ठभूमि:

- पाकिस्तान को **2018 से 2022 तक FATF की ग्रे लिस्ट** में रखा गया था क्योंकि वह आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने में असफल रहा था।
- इससे पाकिस्तान की **वैश्विक विश्वसनीयता और पारदर्शिता** पर सवाल उठते हैं।

आतंकी संगठनों से संबंध: पाकिस्तान पर लंबे समय से **तालिबान, लश्कर-ए-तैयबा (LeT)** और **जैश-ए-मोहम्मद (JeM)** जैसे आतंकी संगठनों को **शरण और समर्थन** देने के आरोप हैं।

भारत के लिए प्रभाव:

- **राजनयिक झटका:**
  - भारत द्वारा पाकिस्तान को वैश्विक आतंकवाद का केंद्र दिखाने के प्रयासों को नुकसान।
  - UNSC और बहुपक्षीय मंचों पर भारत की कूटनीतिक कोशिशों की सीमित सफलता उजागर हुई।
  - **पाकिस्तान-चीन गठजोड़ की बढ़ती पकड़** का संकेत।
- **भारत विरोधी प्रचार का खतरा:**
  - पाकिस्तान की आतंकवाद विरोधी समितियों में नियुक्ति से **भारत को आतंक का स्रोत बताने** का खतरा बढ़ सकता है।
  - **बलूचिस्तान में कथित गतिविधियों** पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट मांगने की स्थिति बन सकती है, जिससे भारत की छवि को नुकसान हो सकता है।

AI RAM पहल / AI RAM Initiative

संदर्भ:

UNESCO के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय कार्यालय **ने IndiaAI मिशन और Ikigai Law** के सहयोग से भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की तत्परता मूल्यांकन पद्धति (Readiness Assessment Methodology - RAM) पर पाँचवां और अंतिम हितधारक परामर्श आयोजित किया।

AI RAM पहल:

- **AI RAM क्या है?**
  - यह एक **AI नीति रिपोर्ट तैयार करने की पहल** है जो भारत की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही है।
  - इसका उद्देश्य **AI की नैतिक और उत्तरदायी अपनाने** को प्रोत्साहित करना है।
  - यह सरकारों को **AI विनियमन और संस्थागत ढांचे को मज़बूत करने** में सहायता करने वाला एक **डायग्नोस्टिक टूल** है।
- **प्रमुख उद्देश्य:**
  - भारत के AI क्षेत्र की ताकतों और अवसरों का **मानचित्रण करना**।
  - AI को विभिन्न क्षेत्रों में लागू करने के लिए **व्यवहारिक सुझाव** देना।
- **पहल का महत्व:**
  - यह **INDIAai मिशन** के अनुरूप है, जिसे ₹10,000 करोड़ से अधिक की वित्तीय सहायता के साथ लॉन्च किया गया है।
  - यह विशेष रूप से मिशन के **"Safe and Trusted AI"** स्तंभ पर केंद्रित है:
    - **AI का नैतिक विकास**
    - **स्थानीय शासन ढांचे**
    - **स्व-मूल्यांकन दिशा-निर्देश**
    - **AI नवाचार के लिए क्षमता निर्माण**

ताम्हिनी (Tamhini) वन्यजीव अभयारण्य

संदर्भ:
हाल ही में महाराष्ट्र वन विभाग ने माइक्रोसॉफ्ट और पुणे स्थित सेंटर फॉर यूथ डेवलपमेंट एंड एक्टिविटीज़ (CYDA) के साथ साझेदारी की है। यह पहल तमहिनी वन्यजीव अभयारण्य में सामाजिक और पारिस्थितिकीय चुनौतियों के समाधान के उद्देश्य से की गई है, ताकि स्थानीय समुदायों की भागीदारी से टिकाऊ विकास और जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सके।

ताम्हिणी वन्यजीव अभयारण्य: पश्चिमी घाट का जैव विविधता हॉटस्पॉट-

- **स्थान:** पुणे, महाराष्ट्र के पास **पश्चिमी घाट** में स्थित एक संरक्षित वन क्षेत्र।
- **क्षेत्रफल: 49.62 वर्ग किमी** में फैला हुआ।
- **निर्माण संरचना:**
  - पुणे वन विभाग की **पौंड और सिंहगढ़ रेंज** से 12 आरक्षित वन खंड।
  - ठाणे के रोहा डिवीजन की **मंगांव रेंज** से 8 वन खंड शामिल।
- **वनस्पति : सदाबहार (Evergreen), अर्ध-सदाबहार (Semi-evergreen)** और अधिकांश **पर्णपाती (Deciduous)** वन।
- **प्रमुख वृक्ष प्रजातियाँ (Flora): सागौन (Teak), बाँस (Bamboo), ऐन (Ain), शीशम, आम**, और **जामुन**।
- **प्रमुख जीव-जंतु (Fauna):**
  - भारतीय विशाल गिलहरी (Indian Giant Squirrel), भौंकने वाला हिरण (Barking Deer), पैंगोलिन, भारतीय सिवेट, और जंगली सूअर।
  - **पक्षी प्रजातियाँ (Avifauna):** मालाबार विसलिंग थ्रश, क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल, ग्रे जंगलफाउल, गोल्डन ओरिओल, और इंडियन पिट्टा।

विशेषता:
यह अभयारण्य पश्चिमी घाट की **उच्च जैव विविधता, पक्षीविज्ञानीय महत्त्व** और **प्राकृतिक सौंदर्य** के कारण एक अहम पारिस्थितिक क्षेत्र है।

ULLAS कार्यक्रम / Ullas Program

संदर्भ:
ULLAS (Understanding Lifelong Learning for All in Society) वयस्क साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत मिज़ोरम और गोवा ने खुद को "पूर्ण साक्षर" राज्य घोषित किया है। मिज़ोरम की साक्षरता दर 98.2% और गोवा की 99.72% दर्ज की गई है, जो देश में साक्षरता के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि को दर्शाती है।

ULLAS कार्यक्रम: वयस्क साक्षरता की दिशा में एक समावेशी पहल-

- **पूरा नाम: ULLAS – नव भारत साक्षरता कार्यक्रम (Nav Bharat Saaksharta Karyakram)** इसे **New India Literacy Programme (NILP)** के नाम से भी जाना जाता है।
- **प्रारंभ:** यह एक **केंद्रीय प्रायोजित योजना** है, जो **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020** के अनुरूप है।
- **मुख्य उद्देश्य:**
  - **15 वर्ष से अधिक आयु के वयस्कों** को **कार्यात्मक साक्षरता** (पढ़ना, लिखना, गणना) और **जीवन कौशल** प्रदान करना।
  - जो लोग औपचारिक शिक्षा से वंचित रह गए हैं, उन्हें **सामाजिक एकीकरण** और **राष्ट्र निर्माण** में योगदान देने योग्य बनाना।
- **मुख्य विशेषताएं:**
  - **स्वयंसेवावाद (Volunteerism)** पर आधारित – **'कर्तव्य बोध'** के साथ सामाजिक उत्तरदायित्व को बढ़ावा।
  - **DIKSHA प्लेटफॉर्म** और **ULLAS ऐप** के माध्यम से क्षेत्रीय भाषाओं में शैक्षिक सामग्री उपलब्ध।
  - शिक्षार्थियों और स्वयंसेवकों को **प्रमाण पत्र** देकर प्रोत्साहित किया जाता है।

ULLAS कार्यक्रम का उद्देश्य एक **समावेशी और साक्षर भारत** का निर्माण करना है, जहां हर नागरिक को सम्मानजनक और सशक्त जीवन जीने का अवसर मिले।

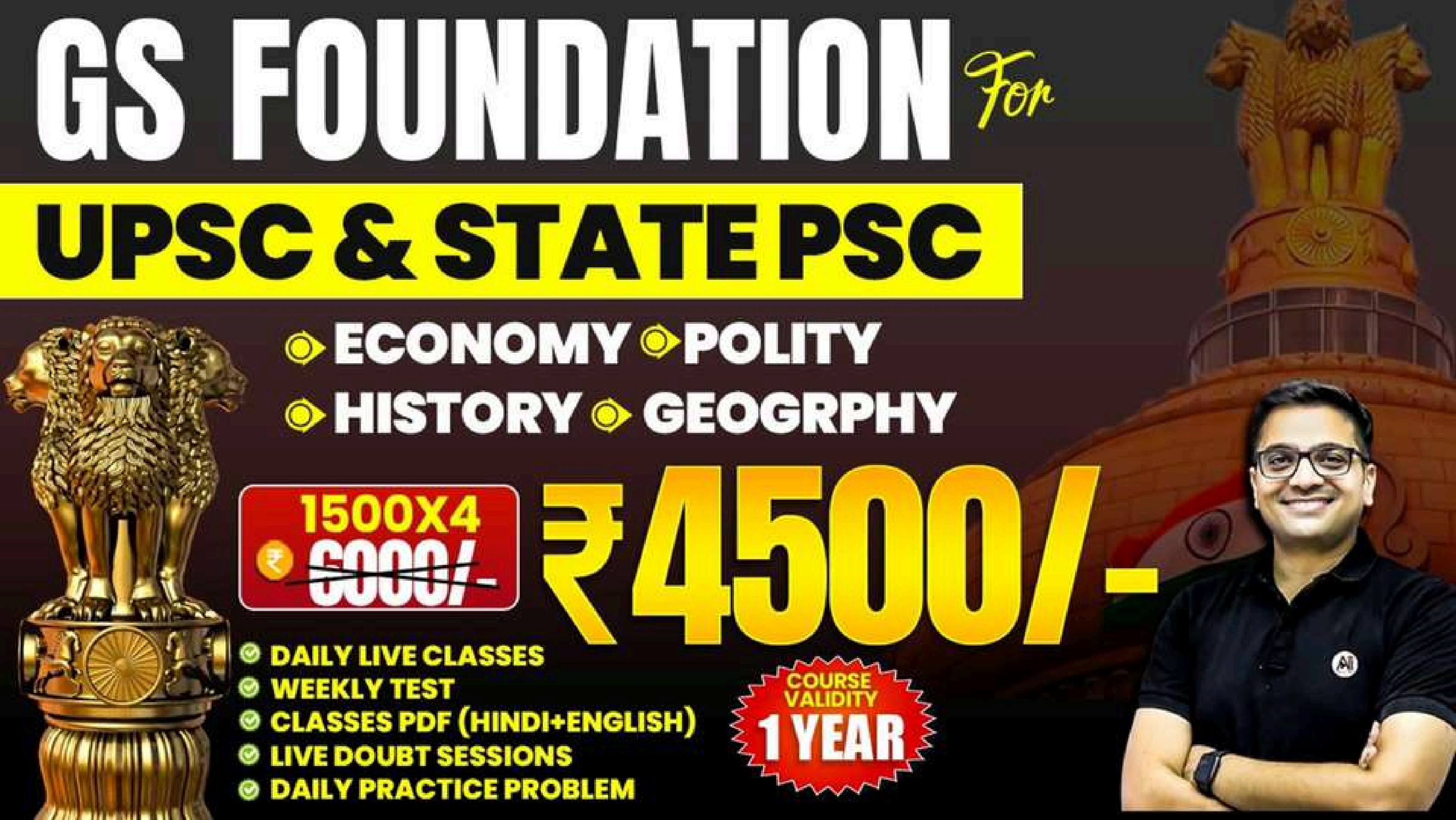
GS FOUNDATION For
UPSC & STATE PSC
ECONOMY
POLITY
HISTORY
GEOGRPHY
1500X4
₹ 6000/-
₹4500/-
DAILY LIVE CLASSES
WEEKLY TEST
CLASSES PDF (HINDI+ENGLISH)
LIVE DOUBT SESSIONS
DAILY PRACTICE PROBLEM
COURSE VALIDITY
1 YEAR

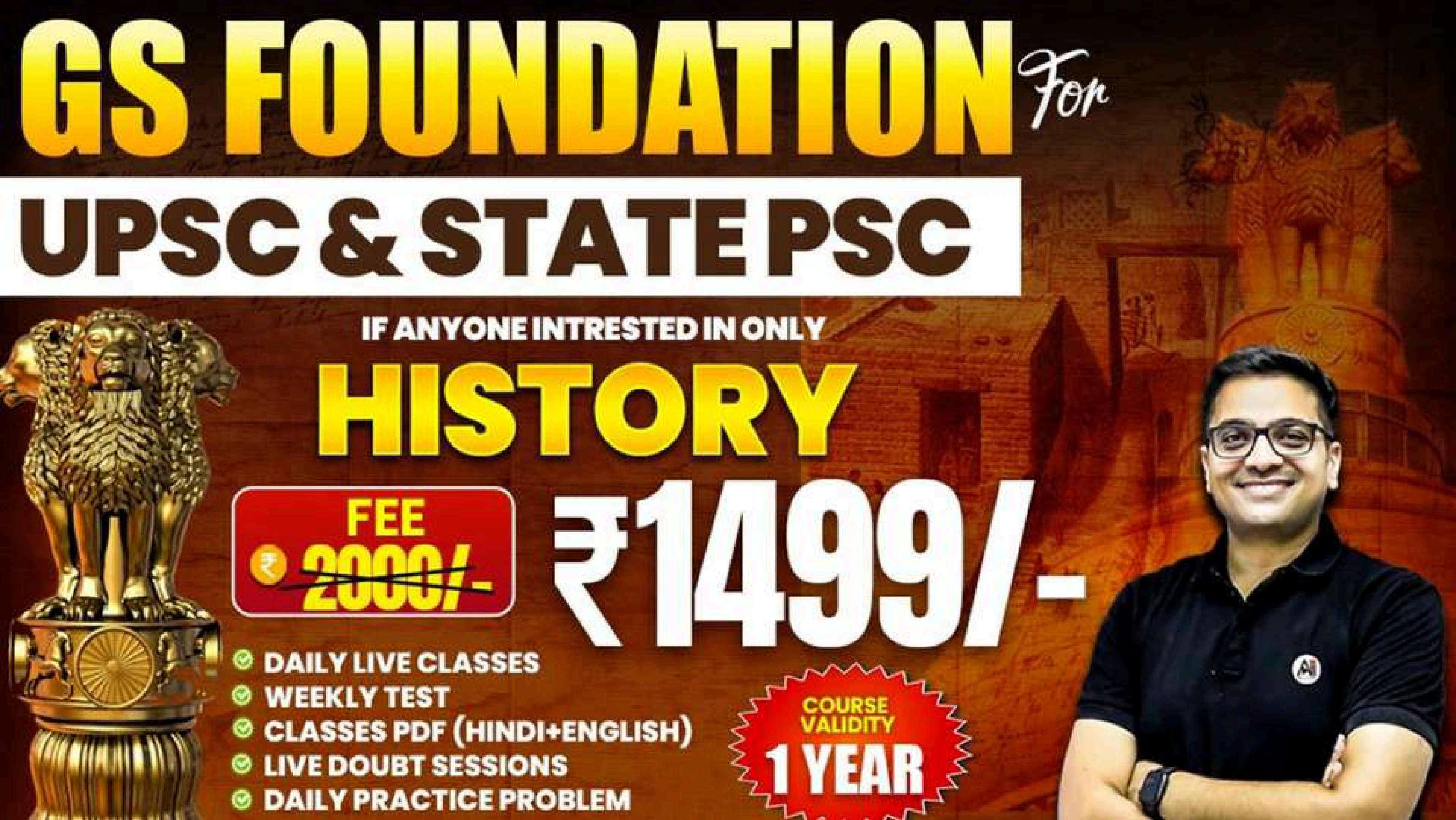
GS FOUNDATION For
UPSC & STATE PSC
IF ANYONE INTRESTED IN ONLY
HISTORY
FEE
₹ 2000/-
₹1499/-
DAILY LIVE CLASSES
WEEKLY TEST
CLASSES PDF (HINDI+ENGLISH)
LIVE DOUBT SESSIONS
DAILY PRACTICE PROBLEM
COURSE VALIDITY
1 YEAR

GS FOUNDATION For
UPSC & STATE PSC
IF ANYONE INTRESTED IN ONLY
ECONOMY
FEE
₹ 2000/-
₹1499/-
DAILY LIVE CLASSES
WEEKLY TEST
CLASSES PDF (HINDI+ENGLISH)
LIVE DOUBT SESSIONS
DAILY PRACTICE PROBLEM
COURSE VALIDITY
1 YEAR

जानिए
भारतीय संविधान
CONSTITUTION OF INDIA
मात्र
1499/- Year
Enroll Now !
1 year validity

GS FOUNDATION
Hand Written Notes
Pathshala
भारतीय भूगोल
भौतिक तथा विश्व भूगोल
भारत तथा विश्व की अर्थव्यवस्था
भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था
प्राचीन तथा मध्यकालीन भारत का इतिहास, कला एवं संस्कृति
आधुनिक भारत एवं विश्व का इतिहास
BEST OFFER
1999Rs
4 पुस्तकों का सम्पूर्ण सेट
अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें....
7878158882
Bilingual
By Ankit Avasthi Sir

UPSC, STATE PCS, SSC, RAILWAY, BANKING, DEFENCE,

और अन्य सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण

MONTHLY MAGAZINE

FREE!

अधिक जानकारी के लिए दिए गए
नंबर पर संपर्क करें....

7878158882

Billingual

ANKIT AVASTHI SIR

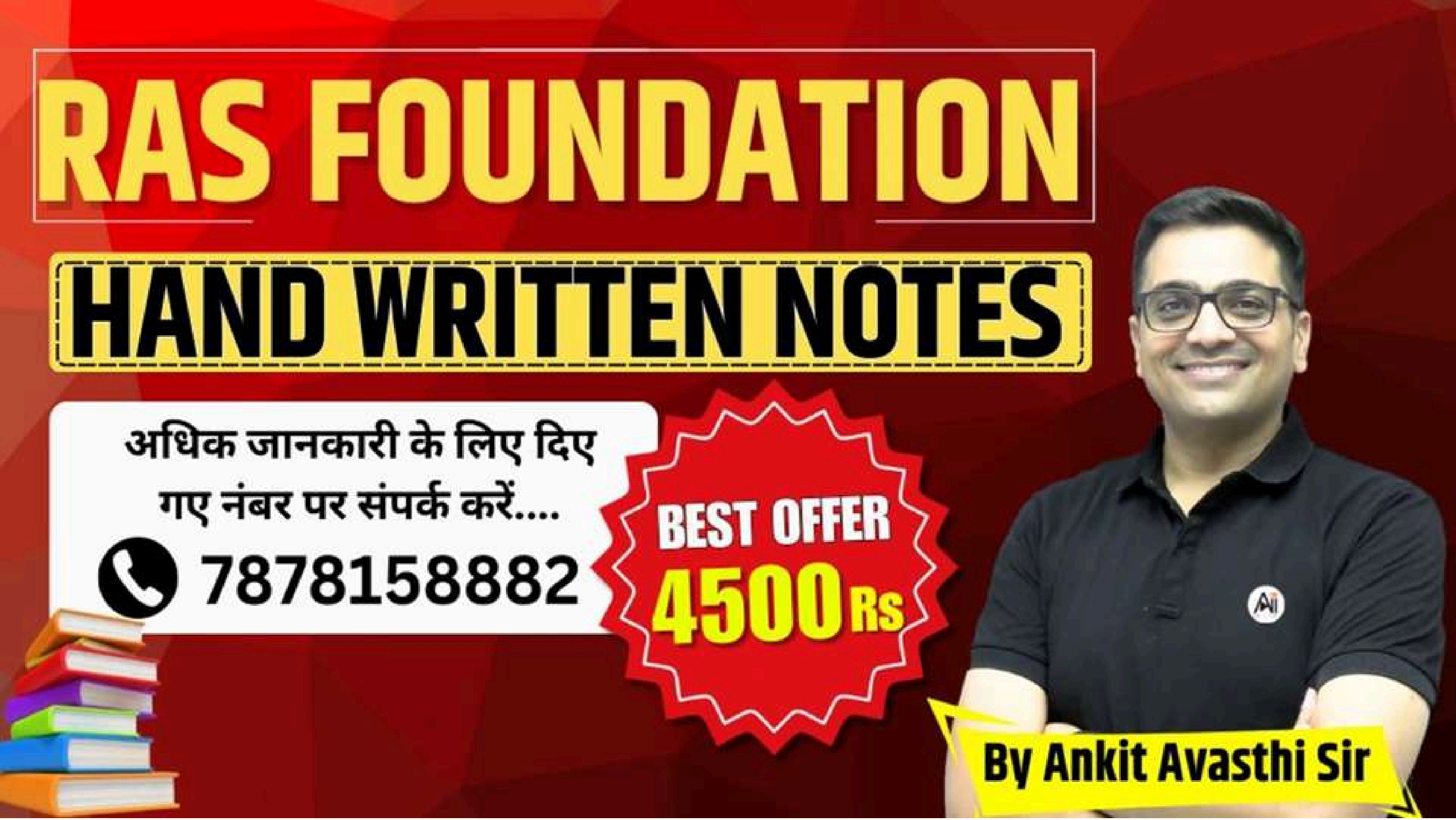
RAS FOUNDATION
HAND WRITTEN NOTES
अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें....
7878158882
BEST OFFER
4500 Rs
By Ankit Avasthi Sir

RRB NTPC
TEST SERIES
100+ Mock Test
78 Sectional Test
40+ years PYPs
60+ Current affairs
TEST
Only
99
Per
Year
Buy Now

APNI PATHSHALA

UPPSC,RO/ARO,BPSC,UP TEST SERIES

UPPSC
(TEST SERIES)
- 35+ MOCK TESTS
- 40+ PYQ'S
- 180+ TOPIC WISE TEST
- 60+ CURRENT AFFAIRS

299/- YEAR

RO/ARO
(TEST SERIES)
- 50+ MOCK TESTS
- 30+ PYQ'S
- 10+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

ONLY 299/- YEAR

BPSC
(TEST SERIES)
- 50+ MOCK TESTS
- 30+ PYQ'S
- 10+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

ONLY 299 YEAR

SSC (TEST SERIES)
- 30 MOCK TESTS
- 28+ YEAR PYP
- 12 SECTIONAL TEST
- 60+ CURRENT AFFAIRS

ONLY 99/- YEAR

RPF (TEST SERIES)
- 40 MOCK TESTS
- 2 YEAR PYQ'S
- 4 SECTIONAL TEST
- 10 PRACTICE TEST
- 60 CURRENT AFFAIRS

ONLY 99/- YEAR

Download | Application
Apni Pathshala
7878158882

Apni.Pathshala Avasthiankit
AnkitAvasthiSir kaankit

ANKIT AVASTHI SIR

CALL CENTRE

HOW MAY I HELP YOU

7878158882

AnkitInspiresIndia

Download "Apni Pathshsla" app now!

Follow us: